भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .742

जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

वाहनजनित प्रदूषण को नियंत्रित करना

742. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रदूषण में वाहनों का कितना योगदान है;

(ख) चार महानगरों-दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में कितने वाणिज्यिक और निजी वाहन हैं और इन शहरों में प्रदूषण सूचकांक कितना है;

(ग) क्या प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों की संख्या कम करने की कोई आवश्यकता है और यदि हाँ, तो क्या सरकार ने वाहनों की खरीद को हतोत्साहित करने हेतु कोई निर्णय लिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले आसान और सस्ते वाहन ऋण परिवारों में वाहनों के स्वामित्व में वृद्धि में योगदान दे रहे हैं और यदि हाँ, तो इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) 2021 में जीवाश्म ईंधन के दहन से होने वाले राष्ट्रीय कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में सड़क परिवहन का योगदान लगभग 12% है। [स्रोत: आईईए और नीति आयोग रिपोर्ट-भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र में बदलाव; प्रकाशित: जुलाई: 2023]

(ख) चार महानगरों में पंजीकृत वाहनों की संख्या इस प्रकार है:

महानगरीय शहर का नाम	**पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों की संख्या**	**पंजीकृत निजी वाहनों की संख्या**	**वाहनों की कुल संख्या**
दिल्ली	1243153	14244188	15487341
मुंबई	709378	4917007	5626385
कोलकाता	484668	3247621	3732289
चेन्नई	528430	5177469	5705899
कुल	**2965629**	**27586285**	**30551914**

(ग) 1. सरकार ने देश में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और न्यूनतम करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) मोटर वाहनों से प्रदूषण को कम करने के लिए दिनांक 16.09.2016 के सा.का.नि. 889 के तहत वैकल्पिक ईंधन के उपयोग सहित भारत स्टेज (बीएस) VI उत्सर्जन सीमाएं अधिसूचित की गईं।

(ii) सभी श्रेणी के वाहनों के लिए दिनांक 5 जनवरी, 2024 के सा.का.नि. 27 (अ) के तहत ई20 को मोनो ईंधन के रूप में अधिसूचित किया गया।

(iii) आईसीएई बीएस-IV वाहनों के लिए दिनांक 16 दिसंबर 2022 के सा.का.नि. 885(अ) के माध्यम से हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में अधिसूचित किया गया।

(iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 की रूपरेखा के अंतर्गत पुराने, अनफिट, प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए 5 अक्टूबर 2021 के सा.का.नि. 720 के माध्यम से वाहन स्क्रैपिंग नीति को अधिसूचित किया गया।

(v) दिनांक 2 नवंबर 2017 के सा.का.नि. 1361 के तहत सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि टोल प्लाजा पर वाहनों के खड़े रहने का समय कम हो, ईंधन की खपत और उत्सर्जन में कमी आए।

2. सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं।

(i) का.आ. 5333(अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 द्वारा जारी अधिसूचना में बैटरी चालित परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकताओं से छूट प्रदान की गई है।

(ii) सा.का.नि. 525 (अ), दिनांक 2 अगस्त, 2021 के तहत जारी अधिसूचना में बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के उद्देश्य से शुल्क के भुगतान से छूट दी है।

(iii) सा.का.नि. 302 (अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के तहत किसी भी परमिट शुल्क के भुगतान के बिना बैटरी चालित वाहनों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट जारी करने के लिए अधिसूचना जारी की गई।

(iv) सा.का.नि.167 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2019 के तहत वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक किट के रेट्रो-फिटमेंट के लिए अधिसूचना जारी की गई है और उनके अनुपालन मानक ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) 123 के अनुसार होंगे।

(v) दिनांक 7 अगस्त, 2018 को जारी सा.का.नि.749 (अ) के तहत अधिसूचना में परिवहन वाहनों के लिए बैटरी चालित वाहनों के पंजीकरण चिह्न को हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में तथा अन्य सभी मामलों में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में अधिसूचित किया गया है।

(vi) बिना बैटरी वाले दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 12 अगस्त 2020 को एक परामर्शी जारी की गई है।

(घ) बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार ऋण संबंधी निर्णय लेते हैं, जो व्यापक विनियामक दिशानिर्देशों के अधीन होते हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मास्टर परिपत्र में निहित निर्देश शामिल हैं, जो "ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध" पर हैं और ग्राहकों की वैध ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

*****